हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंचम सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 43

बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 878 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1345 से 1348 और 1351 व 1352 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1349 पर माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए बताया कि इस परियोजना का 90% खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1350 के उत्तर पर माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पटवारी के आकलन से हटकर एक अलग तकनीक आधारित उपाय भी अपनाना होगा ताकि नुकसान की रिपोर्ट केवल एक व्यक्ति के आकलन पर आधारित न हो। साथ ही प्रधान मंत्री आवास योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना तथा कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित आवास योजनाओं के बारे में सांझा प्रयास हों जिससे पात्र लोगों को इन आवास योजनाओं के अंतर्गत आवास मिलें।

सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्याः 1353 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 1354 से 1387 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 365 से 380 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य ने व्यवस्था के अन्तर्गत मामला उठाते हुए कहा कि उनके द्वारा ऐच्छिक निधि से वर्ष 2018-19 में दी गई ग्रांटस के चैक उप-मण्डल अधिकारी पांवटा को गत वर्ष लाभार्थियों को वितरण हेतु दिए थे लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा यह चैक अब जारी किए गए हैं। जिसके कारण उनकी पिछले वर्ष की ऐच्छिक निधि उपयोग में नहीं आ सकती। माननीय अध्यक्ष ने उन्हें यह विषय नियमानुसार बाद में उठाने का निर्देश दिया। अध्यक्ष के निर्देश को न मानते हुए श्री हर्षवर्धन चौहान सदन में अपनी बात कहते रहे।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया कि यह टंकण की गलती के कारण हुआ है लेकिन अब दो चैक उप-मण्डल अधिकारी द्वारा लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। मुख्य मंत्री के स्पष्टीकरण पर नेता विपक्ष तथा कांग्रेस विधायक दल के अन्य सदस्य भी अपने-अपने क्षेत्र के मामले सदन में रखने लगे।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

"माननीय सदन में बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य विराजमान हैं। विधान सभा अध्यक्ष को लगातार विभिन्न विषयों के नोटिस दिए जाते हैं और अध्यक्ष उन सभी विषयों पर नियमानुसार निर्णय देते हैं। माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान ने अभी-अभी पत्र दिया। इस पर चर्चा हो गई, बाद-विवाद हो गया परन्तु अध्यक्ष का निर्णय उसी समय आ जाए यह प्रक्रिया नहीं है। मैंने यह निर्णय दिया है कि जो पत्र मेरे पास आया है उसे पढ़ने के पश्चात तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी और माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए माननीय सदस्य को एजिटेट नहीं होना चाहिए। जब विषय अध्यक्ष के विचाराधीन है तो सदन की आगामी कार्यवाही को बंद नहीं किया जा सकता।"

12.35 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः पर (एपी-बी)बी(2)-9/1999-एल दिनांक 30.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.01.2019 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18.

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति** ने समिति का अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति** ने समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्याः 2.1 से 2.13 की समीक्षा पर आधारित तथा सावड़ा कुडडु हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति** ने समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

3. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(I) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक-6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक-6) पुरःस्थापित हुआ।

(II) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल के व्यवहार पर चिंता प्रकट की एवं बहिर्गमन की निंदा की

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान- सामान्य चर्चा एवं समापन

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्रीमती आशा कुमारी

मुख्य मंत्री ने श्रीमती आशा कुमारी द्वारा चम्बा के कुछ क्षेत्रों में राशन की कमी होने के बारे में छपे समाचार पर की गई टिप्पणी के दृष्टिगत स्पष्टीकरण दिया कि चम्बा के सभी दुर्गम क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है।

01.10 बजे अप0 सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अप0 तक स्थगित हुई।

02.15 बजे अप0 सदन की बैठक डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वन मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मंत्री ने सिरमौर जिले के सतीवाला नामक स्थान पर वन माफिया द्वारा फोरेस्ट गार्ड को पिकअप द्वारा कुचलने का प्रयास करने तथा इस बारे में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वक्तव्य दिया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट चर्चा जारी -

2. श्री रमेश चंद ध्वाला
3. श्री नंद लाल
4. श्री बलबीर सिंह
5. श्री पवन काजल
6. श्री हीरा लाल
7. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
8. श्री मुलख राज
9. श्री विक्रमादित्य सिंह

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि अभी इस चर्चा में भाग लेने के लिए उनके पास दो और सदस्यों श्री राजिन्द्र गर्ग व श्रीमती रीता धीमान के नाम हैं जबकि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर देने का समय हो चुका है।

माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्री के उत्तर का समय होने के दृष्टिगत चर्चा से अपने नाम वापिस लिए।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से असहमति प्रकट करते हुए कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने 04.28 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।

मुख्य मंत्री ने बहिर्गमन को लेकर कांग्रेस विधायक दल के रवैये की निंदा की।

बजट पर हुई चर्चा का उत्तर जारी।

सदन की बैठक 05.30 बजे अपराह्न तक के लिए बढ़ाई गई।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

05.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 14 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।